सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

Regd. No. RJ. 2777/93
RAJASTHAN GAZZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 11, बुधवार, शाके 1920– सितम्बर 2, 1998
Bhadra 11, Wednesday, Saka 1920- September 2, 1998

भाग 4(क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, सितम्बर 2, 1998

संख्या प2(16)विधि/2/97.– राजस्थान विधान–मंडल का निम्नांकित अधिनियम, जिले राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 1998 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है;

[1][जगद्गुरु रामानन्दाचार्य] राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998
(1998 का अधिनियम संख्या 10)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 1998 को प्राप्त हुई)

सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय के साङगोपांग अध्ययन और अध्यापन का संचालन करने तथा सतत विशेषज्ञीय अनुसंधान और उससे आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने तथा संस्कृत वाङ्मय में सन्निहित क्लिष्ट और गुह्य ज्ञान की अनुसंधान पर आधारित सरल वैज्ञानिक पद्धति से व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करने, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधानों के परिणामों और उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का उपलब्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस अधिनियम का नाम[2] [जगद्गुरू रामानन्दाचार्य] राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्या 5 द्वारा संशोधित
[2] 2006 के अधिनियम संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित

2. परिभाषाएँ– इस अधिनियम, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अध्यापक'' से छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन करने या प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय या, यथा स्थिति, संबंद्ध महाविद्यालय द्वारा नियुक्ति या मान्यता प्राप्त कोई आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(ख) ''अधिकारी'' से धारा 10 में यथा–विनिर्दिष्ट या विश्वविद्यालय में अन्यथा नियोजित, और विश्वविद्यालय के परिनियमों के अधीन इस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्यादेश'' या ''विश्वविद्यालय का अध्यादेश'' से धारा 26 के अधीन बनाया गया कोई अध्यादेश अभिप्रेत है;

(घ) ''अनुमोदित'' से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है;

(ङ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक से भिन्न, विश्वविद्यालय में या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) ''छात्रावास'' से निवास का कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो या तो किसी महाविद्यालय के किसी भाग के रूप में या उससे पृथक् रूप से, विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संधारित या मान्यता प्राप्त है;

(छ) ''नियमित छात्र'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक उपाधि हेतु किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग, विश्वविद्यालय के संबद्ध या संघटक महाविद्यालय या अनुमोदित संस्था में नियमिति प्रवेश लिया हो;

(ज) ''परिनियम'' से विश्वविद्यालय में नीतिगत विषयों और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये और समय–समय पर यथा संशोधित परिनियम अभिप्रेत है;

(झ) ''रजिस्ट्रीकृत स्नातक'' से इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्नातक अभिप्रेत है;

(ञ) ''प्राचार्य'' से किसी संघटक या सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रधान या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) ''प्राधिकरण'' से धारा 15 में यथाविनिर्दिष्ट या उसके अधीन घोषित कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) ''मान्यताप्राप्त'' से विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मान्यता प्राप्त अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ढ) ''विनियम'' से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(ण) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम द्वारा स्थापित [1][जगद्गुरु रामानन्दाचार्य] राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(त) ''विश्वविद्यालय अध्यापक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय में शिक्षा देने हेतु नियुक्त किया गया है'

(थ) ''विहित'' से विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) ''स्वयंपाठी छात्र'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियमित छात्र नहीं है;

(ध) ''संकाय'' से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित संकाय अभिप्रेत है;

(न) ''सरकार''से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(प) ''सम्बद्ध महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकारों के लिए स्वीकृत कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(फ) ''संस्था'' से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त या अनुमोदित कोई संस्था अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य– विश्वविद्यालय अपने कृत्यों का विस्तार और विनियमन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगा, अर्थात्:–

(क) संस्कृत वाङ्मय के ज्ञान की विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा देना;

(ख) संस्कृत वाङ्मय और उसकी विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान कार्य आरम्भ करना और उसका अभिवर्धन करना;

(ग) संस्कृत वाङ्मय में विस्तारी शिक्षा कार्यक्रम हाथ में लेना;

(घ) संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों को उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण देना;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित

(ङ) शिक्षण–रीति–विज्ञान और शिक्षण–शास्त्र के अध्यापन में विशेषतः परिकल्पित अभिसंस्करण कार्यक्रम आयोजित करना;

(च) पाठ्यक्रम का आदिनांकन और आधुनिकीकरण करना और परीक्षा सुधार से संबंधित कार्य हाथ में लेना; और

(छ) ऐसे अन्य कार्य, क्रियाकलाप या परियोजनाएं, जिन्हें विश्वविद्यालय उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से हाथ में लेना उचित समझे जिनके लिए उसे स्थापित किया गया है।

4. विश्वविद्यालय का निगमित निकाय होना– (1) राजस्थान राज्य में [1][जगद्गुरु रामानन्दाचार्य] राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय का गठन किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय में एक कुलाधिपति, एक कुलपति, एक कार्यपरिषद्, एक विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकरण तथा अधिकारी होंगे जो इस अधिनियम में या तदधीन बनाये गये परिनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उससे उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय ऐसी न्यास सम्पत्ति के, जो उसमें निहित की जाये या उसके द्वारा अर्जित की जाये, सहित कोई भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रबन्धित, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करने के लिए सक्षम होगा और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी वित्तीय संस्था से धन उधार भी ले सकेगा। विश्वविद्यालय कोई संविदा कर सकेगा और ऐसे सभी अन्य कार्य या बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध किये जाने वाले सभी वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन कुलपति के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे।

(6) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य–विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहण करेगाः–

[1] 2006 के अधिनियम संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित

(1) संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न विषयों के उच्च अध्ययन और अध्यापन के लिए संकाय, विभाग या महाविद्यालय स्थापित करना और आवश्यकतानुसार उनका संचालन करना;

(2) राज्य में स्थापित समस्त संस्कृत महाविद्यालयों और संस्कृत प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना;

(3) ऐसे व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य उपाधियाँ प्रदान करना;

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और परिनियमों में विहित शर्तों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालयों या अनुमोदित संस्थाओं में नियमित छात्र के रूप में विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं दी हो और उत्तीर्ण की हों;

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या उसके सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालयों या अनुमोदित संस्थाओं में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित शर्तों के अध्यधीन पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया हो किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और परिनियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार दी हो और उत्तीर्ण की हो;

परन्तु ऐसे व्यक्तियों ने अध्यादेशों और परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कालावधि तक राजस्थान राज्य में निवास किया हो;

(4) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए पाठ्यक्रम विहित करना;

(5) विश्वविद्यालय में संस्कृत वाङ्मय में स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान कार्य की शिक्षा देने के साथ–साथ उसकी परीक्षाएँ आयोजित करने का उपबंध करना;

(6) संस्कृत वाङ्मय में अध्ययन के संचालन हेतु विशेष पीठ स्थापित करना;

(7) परिनियमों में विहित रीति से अनुमोदित महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विद्वानों और विशेषज्ञों को मानद उपाधियाँ या अन्य उपाधियाँ प्रदान करना;

(8) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विहित रीति से प्राइवेट शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य, सह–आचार्य और सहायक आचार्य और अन्य अध्यापन तथा अध्यापनेतर पदों का सृजन करना एवं उन पर नियुक्तियां करना;

(10) संबद्ध महाविद्यालयों और अनुमोदित संस्थाओं का निरीक्षण करना और उनमें अध्यापन, अनुदेशन और प्रशिक्षण संबंधी उपयुक्त स्तरमान बनाये रखना;

(11) अध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भवनों, कार्यालयों, निवास स्थानों, छात्रावासों इत्यादि का संनिर्माण, अनुरक्षण और प्रबंध करना;

(12) अध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुशासन का पालन कराना और उसे बनाये रखना और उनके कल्याण की अभिवृद्धि करने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्थाएं करना;

(13) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और पारितोषित आदि आरम्भ करना और प्रदत्त करना;

(14) ऐसी फीस और अन्य प्रभार नियत और संगृहीत करना जो विहित किये जायें;

(15) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से धनराशियाँ उधार लेना;

(16) विश्वविद्यालय के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संदान, अनुदान, दान (जंगम या स्थावर), भेंट और सहायता प्राप्त करना;

(17) निवेश–बाह्य अध्यापन में सहायता के लिए विश्वविद्यालय की निधि से अनुदान देना;

(18) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकरणों और संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना; और

(19) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना जो, चाहे वे उपर्युक्त कार्य से आनुषंगिक हों या नहीं, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों या जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों।

6. क्षेत्रीय अधिकारिता–राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (1962 का राजस्थान अधिनियम 17), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (1962 का राजस्थान अधिनियम 18), कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 35), महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 38), और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी संस्कृत वाङ्मय के अध्ययन और अध्यापन के सम्बन्ध में इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र पर होगा।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों के लिए खुला होना—विश्वविद्यालय, अध्यादेशों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश, वर्ग या लिंग के हों:

परन्तु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या इसके द्वारा मान्यताप्राप्त किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था में, जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित या अनुदानित हो, कोई धार्मिक शिक्षा या प्रशिक्षण तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि छात्र के वयस्क होने की दशा में उसकी और उसके अवयस्क होने की दशा में उसके संरक्षक की सहमति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो।

8. विश्वविद्यालय में अध्यापन— (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त अध्यापन कार्य या तो,

(क) विश्वविद्यालय में, या

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालयों में, या

(ग) मान्यताप्राप्त संस्थाओं में,

संचालित किया जायेगा।

(2) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित पाठ्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का विश्वविद्यालय, सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

9. कुलाधिपति— (1) राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे और उसके आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे।

(2) कुलाधिपति, जब दीक्षान्त समारोह में उपस्थित हों तो, उसकी अध्यक्षता करेंगे।

(3) [1][X X X X]

(4) [2][X X X X]

(5) [3][X X X X]

(6) इस अधिनियम के अधीन पहली बार निर्मित परिनियमों में कोई उपबन्ध जोड़ने, हटाने या उपान्तरित करने की स्वीकृति देने की शक्ति कुलाधिपति में निहित होगी।

(7) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां भी होंगी जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की जायें।

(8) कुलाधिपति, स्वयं का समाधान हो जाने पर, जब वे ऐसा करना आवश्यक समझें, लिखित में कारण संसूचित करते हुए कुलपति को किसी भी समय पद से हटा सकेंगे

---

[1] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा विलोपित

[2] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा विलोपित

[3] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा विलोपित

या निलम्बित कर सकेंगे। कुलाधिपति ऐसा करने के पूर्व कुलपति को व्यक्तिशः या लिखित में या दोनों प्रकार से सुनवाई का उचित अवसर देंगे।

[1][**9क. निरीक्षण**–(1)कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेशक दे–

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की आय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्यवाही करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर–भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर–भीतर कार्यवाही नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्

[1] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा सम्मिलित

ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी, जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप–धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।]

10. विश्वविद्यालय के अधिकारी– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे–

(i) कुलपति;

(ii) कुल–सचिव;

(iii) सभी संकायाध्यक्ष [1][X X X]

[2][(iii-क) नियंत्रक; और]

(iv) विश्वविद्यालय में सेवारत कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

[3] [**11. कुलपति–**(1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा–

(क) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

---

[1] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा ''और'' शब्द विलोपित

[2] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा सम्मिलित

[3] 2018 के अधिनियम संख्या 18 द्वारा प्रतिस्थापित

(घ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के लिए, खोजबीन समिति लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगीः

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप–धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप–धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप–धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल–सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा,

जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य–विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगाः–

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टीः

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।'']

12. कुलपति की शक्तियां और दायित्व– (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। वह कार्यपरिषद्, विद्या परिषद्, बोर्ड या समिति का, जिसका वह सदस्य हो, पदेन अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अन्य संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाहियों में उपस्थित होने, भाग लेने और बोलने के लिए प्राधिकृत होगा किन्तु वह वहां तब तक मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि वह उसका सदस्य न हो।

(2) कुलपति, यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि इस अधिनियम के और तदधीन बनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी।

(3) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, और संकायों की संयुक्त बैठकें आयोजित करने का भी अधिकार होगा।

(4)(i) किसी आपात स्थिति में, जहां कुलपति की राय में तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो वहां उसे तुरन्त कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसे मामलों में, कुलपति द्वारा यथाशक्य शीघ्र उस अधिकारी, प्राधिकरण या अन्य संस्थाओं को, जिनके द्वारा या जहां उस मामले पर साधारणतया विचार किया जाना चाहिए, की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा उनके द्वारा पुष्टि किये जाने पर ऐसी कार्यवाईयां आगे के लिए विधिमान्य समझी जायेंगी।

(ii) जहां कुलपति द्वारा उप–धारा (4) के खण्ड (i) के अधीन की गयी कार्यवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो वहां प्रभावित व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उस कार्यवाई से सूचित किया गया हो, पन्द्रह दिन के भीतर–भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा।

(5) वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक की नियुक्ति, शास्ति, पदच्युति या निलम्बन के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् द्वारा किये गये आदेश का अनुपालन करायेगा।

(6) उसका विश्वविद्यालय पर सामान्य नियन्त्रण होगा तथा समस्त अनुशासनिक शक्तियां उसमें निहित होंगी।

(7) वह ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा उसके लिए विहित की जायें।

13. कुल–सचिव.–(1) विश्वविद्यालय के कुल–सचिव की नियुक्ति समय–समय पर यथासंशोधित राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 में अधिकथित रीति से और उसके अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्यपरिषद् द्वारा की जायेगी।

(2) कुल–सचिव का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो कार्य परिषद् द्वारा अवधारित की जायें।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

14. कुल–सचिव के कर्त्तव्य.–विश्वविद्यालय का कुल–सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा का अभिरक्षक होगा। वह कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् के पदेन सचिव कार्य

भी करेगा। वह ऐसे अन्य कृत्य भी करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कुलपति या कार्यपरिषद् द्वारा आवश्यक समझे जायें और निर्दिष्ट किये जायें।

15. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगेः—

(i) कार्यपरिषद्;

(ii) विद्यापरिषद्;

(iii) संकाय;

(iv) अध्ययन बोर्ड;

[1][(iv-क) वित्त समिति;]

(v) निरीक्षण बोर्ड; और

(vi) ऐसे अन्य निकाय जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

16. कार्यपरिषद्— (1) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारी संस्था होगी और निम्नलिखित से गठित होगीः—

(i) कुलपति; (पदेन)

(ii) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नामनिर्देशित कोई व्यक्ति;

(iii) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों से भिन्न, विश्वविद्यालय का कोई नामनिर्देशित आचार्य;

(iv) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित कोई शिक्षाविद्;

(v) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई प्राचार्य;

(vi) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान; (पदेन)

(vii) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान; (पदेन)

(viii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई शिक्षाविद्;

(ix) विश्वविद्यालय के आचार्यों, संकायाध्यक्षों, सम्बद्ध और संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों को छोड़कर अध्यापकों के संवर्ग में से निर्वाचित निम्नलिखित में से ऐसे कोई भी दो अध्यापक जिन्होंने जिस वर्ष निर्वाचन होते हैं उसके ठीक पूर्व वर्ष की 1 जनवरी को राजस्थान के किसी भी संस्कृत महाविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष तक स्नातक या उससे उच्च कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया होः—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों और संघटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित कोई भी एक अध्यापक;

---

[1] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा सम्मिलित

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित कोई भी एक अध्यापक;

(x) विधानसभा के ऐसे दो सदस्य जो अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्देशित किये जायें; (पदेन)

(xi) कुलसचिव सदस्य (पदेन)

(2) कार्यपरिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल निम्नानुसार होगा–

(i) कार्य परिषद् के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन से तीन वर्ष की कालावधि तक पद धारण करेंगे, तथा

(ii) कार्य परिषद् के नामनिर्देशित सदस्य नामनिर्देशन करने वाले अधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे;

परन्तु ऐसे नामनिर्देशन का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि कोई नामनिर्देशित सदस्य नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगाः

परन्तु यह भी जब कभी ऐसे किसी सदस्य का नामनिर्देशन या पुनः नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जाता है, तो उसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से उसका पद रिक्त किया हुआ समझा जायेगा।

17. कार्यपरिषद् के कर्त्तव्य–कार्यपरिषद् इस अधिनियम में या इसके उपबंधों में विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्य का निर्वहण करेगीः–

(i) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, परिनियम और अध्यादेश बनाना, उन्हें संशोधित और निरसित करना;

(ii) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित, नियंत्रित और प्रशासित करना;

(iii) विश्वविद्यालय की ओर से अभिदाय, वसीयतें या जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण स्वीकार करना;

(iv) कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;

(v) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित धन–राशियां विनियोजित करना;

(vi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें फेरफार करना, उसे कार्यान्वित करना, पुष्ट करना और रद्द करना;

(vii) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या किसी भी अन्य प्रतिभूति पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन–राशियां उधार लेना या सार्वजनिक ऋण लेना;

(viii) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए (कुलपति और संकायाध्यक्षों से भिन्न) अधिकारी और अध्यापक नियुक्त करना और उनके कर्त्तव्य, परिलब्धियां तथा सेवा–शर्तें अवधारित करना;

(ix) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का प्ररूप अवधारित करना, उसके उपयोग को विनियमित करना तथा उसकी अभिरक्षा का उपबंध करना;

(x) परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए, महाविद्यालयों, छात्रावासों या संस्थाओं का निरीक्षण करना, संबद्ध करना, मान्यता देना या अनुमोदन करना और संबद्धता, मान्यता या अनुमोदन वापस लेना;

(xi) परीक्षाओं का आयोजन करना और उनके परिणामों की घोषणा करना; और

(xii) विद्या परिषद् के परामर्श से अध्यापन और परीक्षाओं के उचित स्तरमान सुनिश्चित करना।

18. विद्यापरिषद् –(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे–

(i) कुलपति; (पदेन)

(ii) संकायों के संकायाध्यक्ष; (पदेन)

(iii) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कोई भी दो विभागाध्यक्ष जो किसी आचार्य या सह–आचार्य स्तर के हों;

(iv) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम निर्देशित दो प्राचार्य;

(v) अध्ययन बोर्डों के संयोजक; (पदेन)

(vi) विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित तीन ऐसे व्यक्ति जो किसी अध्ययन विशेष में विशेष उपलब्धि रखते हों और जो विश्वविद्यालय में या किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय या अनुमोदित संस्था में अध्यापक नहीं हों; और

(vii) कुल–सचिव–सदस्य सचिव (पदेन)

(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की अवधि निम्न प्रकार होगी–

(i) विद्या परिषद् के सहयोजित सदस्य अपनी सहयोजन की तारीख से तीन वर्ष तक पद धारित करेंगे, तथा

(ii) विद्यापरिषद् के नामनिर्देशित सदस्य नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेंगेः

परन्तु इस प्रकार के नामनिर्देशन की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि नामनिर्देशित सदस्य पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगाः

परन्तु यह भी कि जब कभी इस प्रकार के नामनिर्देशित सदस्य का नामनिर्देशन या पुनः नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जाता है, तो उसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से पद रिक्त किया हुआ समझा जायेगा।

19. विद्या परिषद् के कृत्य–(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय में अध्यापन और परीक्षाओं के बारे में सामान्य विनियम बना सकेगी और वह अध्यापन और परीक्षाओं का स्तर बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) पूर्वोक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहण करेगीः–

(i) कार्यपरिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विनियम बनाना, उन्हें संशोधित और निरसित करना और पाठ्यक्रम और अन्य क्रियाकलाप अवधारित करना;

(ii) विश्वविद्यालय में प्रवेश, अध्यापन, अन्य क्रियाकलापों, परीक्षाओं और उपस्थिति सम्बन्धी अध्यादेशों के प्रस्ताव कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना;

(iii) अध्यापन और परीक्षाओं के स्तर अवधारित करने के बारे में प्रस्ताव तैयार करना;

(iv) विश्वविद्यालय की किसी भी संस्था के किन्हीं भी विषयों के शैक्षणिक पदों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् को सलाह देना;

(v) सम्बन्धित संकाय की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, अध्ययन बोर्ड के गठन और उसकी सदस्य–संख्या के बारे में कार्य परिषद् को सलाह देना;

(vi) विश्वविद्यालय की फीसों के बारे में कार्य परिषद् को सलाह देना;

(vii) परीक्षाओं की समकक्षता और दूसरी संस्थाओं की परीक्षाओं की मान्यता के बारे में कार्य परिषद् को सलाह देना;

(viii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, और विश्वविद्यालय की पुस्तकालय समिति की नियुक्ति, के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सलाह देना;

(ix) विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियां प्रदान करने और उनकी अवधि के बारे में कार्य परिषद् को सलाह देना;

(x) संकायों और अध्ययन बोर्ड को विचार के लिए कोई भी विषय या मामला प्रेषित करना;

(xi) अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(xii) अन्य सभी शैक्षणिक विषयों और मामलों के बारे में कार्य परिषद् को सलाह देना।

20. संकाय– (1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे–

(क) वेद–वेदांग संकाय;

(ख) दर्शन संकाय;

(ग) साहित्य और संस्कृति संकाय;

(घ) श्रमण विद्या संकाय;

(ङ) आधुनिक ज्ञान–विज्ञान संकाय; और

(च) ऐसे अन्य संकाय जो परिनियमों के अधीन स्थापित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्–

(क) सम्बन्धित संकायाध्यक्ष;

(ख) संकाय के विषयों से संबंधित विश्वविद्यालय के आचार्य और सह–आचार्य;

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों के संकाय से संबंधित ऐसे सभी विभागाध्यक्ष, जिन्हें संकाय की स्नातक कक्षाओं के अध्यापन का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव हो;

(घ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के सम्बन्धित संकाय के अध्यापकों में से सहयोजित किये गये दो से अनधिक सदस्य;

(ङ) संकाय द्वारा सहयोजित किये गये दो से अनधिक ऐसे सदस्य जो विश्वविद्यालय या किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय के सदस्य न हों; और

(च) संकाय में अध्ययन बोर्ड का संयोजक जो पूर्वोक्त उप–धाराओं में सम्मिलित न हो।

(3) संकायाध्यक्षों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगेः–

(क) संकायाध्यक्ष, संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे;

(ख) संकायाध्यक्ष, संकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी कार्यवाहियां अभिलिखित करेंगे; और

(ग) संकायाध्यक्ष को संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड की बैठकों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु उनमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह उसका सदस्य न हो।

(4) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्–

(क) अध्ययन बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में विद्या परिषद् के माध्यम से कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(ख) अध्ययन बोर्ड से सलाह करने के पश्चात् पाठ्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों और परीक्षाओं के नेटवर्क के बारे में विद्या परिषद् को सिफारिशें करना;

(ग) संकाय के कृत्यों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना;

(घ) अनुसंधान स्कीमें तैयार करना और जब कभी आवश्यक हो, उनमें समन्वय करना;

(ङ) विद्या परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्देशित मामलों का निपटारा करना;

(च) विचार के लिये मामले अध्ययन बोर्ड को निर्देशित करना;

(छ) अपनी अधिकारिता के अध्यधीन रहते हुए, अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे निर्देशित मामले पर विचार करना;

(ज) कुलपति के अनुमोदन से, अन्य संकाय या संकायों के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित करना, ऐसी संयुक्त बैठकें कुलपति या उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी भी संकायाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जायेंगी और वही उनकी अध्यक्षता करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. अनुसंधान केन्द्र–(1)विश्वविद्यालय संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न विषयों में सतत विशेषज्ञीय अन्वेषण और अनुसंधान के लिए दुर्लभ ग्रन्थों के सम्पादन तथा प्रकाशन के लिए एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करेगा।

(2) अनुसंधान केन्द्र का गठन, उसकी संरचना और कार्यप्रणाली परिनियमों द्वारा विनियमित होगी।

(3) कार्यपरिषद् के निर्देशों के अनुसार, अनुसंधान के परिणामों और विशेष उपलब्धियों को प्रकाश में लाया जायेगा और साथ ही दुर्लभ ग्रन्थों का सम्पादन और प्रकाशन किया जायेगा।

22. अध्ययन बोर्ड– (1)अध्ययन बोर्ड का गठन; सदस्यों की संख्या और कार्य–विधि निम्न प्रकार होगी–

(क) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा। प्रत्येक संकाय में अध्ययन बोर्डों की संख्या और सम्बन्धित संकाय के लिए आन्तरिक और बाह्य सदस्यों की संख्या विद्या परिषद् की सिफारिशों पर कार्य परिषद् द्वारा नियत की जायेगी;

(ख) अध्ययन बोर्ड सम्बन्धित संकाय द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए गठित किया जायेगा;

(ग) अध्ययन बोर्ड में सदस्यों की संख्याः–

(i) स्नातकोत्तर अध्ययन से सम्बन्धित बोर्ड के मामले में सात; और

(ii) अन्य मामलों में पांच,

से अधिक नहीं होगी;

(घ) प्रत्येक बोर्ड अपने आन्तरिक सदस्यों में से एक संयोजक निम्नलिखित क्रम में नियुक्त करेगाः–

(i) विश्वविद्यालय के आचार्य;

(ii) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रचार्य;

(iii) स्नातक महाविद्यालयों के प्राचार्य जिन्हें स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो;

(iv) ऐसे विभाग का सह–आचार्य, जिसमें कोई विश्वविद्यालय आचार्य नहीं हो;

(v) स्नातक महाविद्यालयों के प्राचार्य (विभागाध्यक्ष होने के आधार पर);

(vi) महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष; और

(vii) महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के विभागों के विभागाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण– ''आन्तरिक सदस्य'' से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय में, या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में या किसी अनुमोदित संस्था में अध्यापक हो, और ''बाह्य सदस्य'' से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो आन्तरिक सदस्य नहीं हो।

(2) अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे–

(क) अध्ययन बोर्ड सम्बन्धित विषय में पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों की सिफारिश करेगा और कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् या सम्बन्धित संकाय द्वारा निर्देशित सभी मामलों पर सलाह देगा;

(ख) अध्ययन बोर्ड विषय या विषयों से सम्बन्धित परीक्षाओं के मामलों को विद्या परिषद् और कार्य परिषद् के ध्यान में लायेगा और सुधार या पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मामलों को सम्बन्धित संकाय को निर्देशित कर सकेगा;

(ग) कोई भी दो अध्ययन बोर्ड, जब कभी विद्या परिषद् या कार्यपरिषद् द्वारा अपेक्षा की जाये, कुलपति के पूर्व अनुमोदन देने से संयुक्त बैठक कर सकेंगे और

सम्बन्धित मामलों पर दोनों संयुक्त रिपोर्ट देंगे। ऐसे मामलों में वे दो संयोजकों में से एक को संयुक्त बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे; और

(घ) अध्ययन बोर्ड परिनियमों के अनुसार सम्बन्धित विषयों में परीक्षकों का पैनल तैयार करेगा।

23. निरीक्षण बोर्ड–(1) निरीक्षण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) कुलपति;

(ख) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान; और

(ग) संकायाध्यक्ष।

(2) निरीक्षण बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे–

(क) निरीक्षण बोर्ड विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को सम्बद्धता, मान्यता या, यथास्थिति, अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदनों का निपटारा करेगा और परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से उनके निरीक्षण की व्यवस्था करेगा और सम्बद्धता, मान्यता या अनुमोदन प्रदान करने, बनाये रखने या रद्द करने के बारे में कार्य परिषद् को सिफारिश करेगा;

(ख) बोर्ड दो समितियां नियुक्त करेगा जिनमें प्रत्येक में पांच सदस्य होंगे। उनमें से एक महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करेगी और दूसरी संस्थाओं के अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करेगी। ये समितियां तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त की जायेंगी; और

(ग) बोर्ड, कार्य परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए संस्थाओं और महाविद्यालयों की सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन प्रदान करने और वापस लेने के संबंध में नियम बना सकेगा।

24. परिनियम– परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों पर बनाये जा सकेंगे जिनमें ऐसे अनुदेश, निदेश, प्रक्रिया या विवरण अन्तर्विष्ट होंगे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन और अनुसार हों :–

(क) मानद उपाधियां प्रदान करना;

(ख) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह आयोजित करना;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तियां, उनके कृत्य और शक्तियां;

(घ) विश्वविद्यालय की संस्थाओं, बोर्डों और समितियों का गठन, कृत्य और शक्तियां;

(ङ) विश्वविद्यालय के विभागों, महाविद्यालयों, अनुसंधान या विशेषज्ञीय अध्ययन की संस्थाओं और छात्रावासों का स्थापन और अनुरक्षण;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस विहित करना, अन्य क्रियाकलाप अवधारित करना और इसकी परीक्षाओं या उपाधियों, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश;

(छ) छात्रावासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं का निरीक्षण और संबद्धता, मान्यता या अनुमोदन प्रदान करना या वापस लेना;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति, कर्त्तव्य और पारिश्रमिक का विनियमन करने वाली शर्तें;

(झ) संदाय, अनुदान, वसीयत, दान (जंगम या स्थावर), भेंट और सहायता स्वीकार करना और उनका प्रबन्ध करना;

(ञ) स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का रजिस्टर रखना;

(ट) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा शर्तों का अवधारण और उनके लाभ के लिए पेंशन, बीमा, उपदान और भविष्य निधि का उपबंध करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के अवकाश;

(ड) विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकार के मध्य सामान्य हित के मामलों पर विचार करने के लिए समन्वय समिति गठित करना;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य विशेष उपाधियां; और

(ण) ऐसे समस्त अन्य मामले जिन पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यवाई की जा सकती हो।

25. परिनियम बनाने की रीति– (1) कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर इसमें इसके पश्चात् वर्णित रीति से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाये या जोड़े जा सकेंगे या विद्यमान परिनियम संशोधित या रद्द किये जा सकेंगे।

(2) कार्य परिषद् का कोई भी सदस्य किसी परिनियम का प्रारूप कार्य परिषद् को प्रस्तावित कर सकेगा और कार्यपरिषद् उस प्रारूप को या तो अनुमोदित कर सकेगी या उसे पूर्णतः या भागतः संशोधित या उपान्तरित कर सकेगी तथा स्वीकृत, अस्वीकृत, संशोधित या यथास्थिति, उपान्तरित प्रारूप को कुलाधिपति के अनुमोदनार्थ निर्देशित करेगी।

(3) कार्य परिषद् परिनियम के किसी ऐसे प्रारूप पर, जिससे विश्वविद्यालय के किसी भी विभागीय प्राधिकारी की स्थिति, शक्ति या गठन प्रभावित होता हो उस प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिये बिना विचार नहीं कर सकेगी। ऐसी कोई भी राय लिखित रूप में होगी जिस पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा और

उस परिनियम के प्रारूप पर किये गये अपने विनिश्चय के साथ वह उसे अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को प्रेषित करेगी।

(4) कुलाधिपति प्रारूप–परिनियमों को पुनर्विचार हेतु कार्यपरिषद् को लौटा सकेंगे या, यथास्थिति, कार्यपरिषद् द्वारा पारित प्रारूप–परिनियमों का अनुमोदन कर सकेंगे।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित परिनियम कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन विधि मान्य होंगे।

26. विश्वविद्यालय के अध्यादेश–इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों के लिए अध्यादेश बना सकेगीः–

(क) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों के लिए पाठ्यक्रम अधिकथित करना और अन्य पाठ्यक्रमेतर क्रियाकलाप अवधारित करना;

(ख) ऐसी शर्तें विहित करना जिनके अधीन छात्रों को पाठ्यक्रम और अन्य पाठ्यक्रमेतर क्रियाकलापों, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों और अन्य विशिष्ट उपाधियों के लिए प्रवेश दिया जायेगा;

(ग) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन;

(घ) परीक्षाओं का संचालन;

(ङ) अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों की मान्यता;

(च) विश्वविद्यालय के लिए या उसकी ओर से संविदा करने की रीति अवधारित करना;

(छ) छात्रों के स्थानान्तरण के बारे में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नियमों का पालन कराना;

(ज) वे सभी विषय जिनका निर्वर्तन, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार, अध्यादेशों द्वारा किया जाना अपेक्षित है;

(झ) सामान्यतः वे सभी विषय जो कार्य परिषद् की राय में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या कार्यपरिषद् के कर्तव्यों का निर्वहण करने के लिए आवश्यक है।

27. विश्वविद्यालय के अध्यादेश बनाने की रीति–(1) धारा 26 में अन्तर्विष्ट विषयों पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जा सकेंगे किन्तु विश्वविद्यालय या उसकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों में प्रवेश, उपस्थिति और परीक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रारूप अध्यादेश पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक उसे विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जाये।

(2) विद्या परिषद् की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति कार्य परिषद् की नहीं होगी किन्तु कार्य परिषद् उसे अस्वीकार कर सकेगी या सम्पूर्ण प्रारूप पर या उसके किसी भाग पर अपने द्वारा दिये गये सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी।

(3) कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसे सभी अध्यादेश कुलाधिपति के द्वारा उनके अनुमोदन के पश्चात् राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

28. विनियम–विद्या परिषद्, कार्य परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत और उसकी अधिकारिता के भीतर के विषयों पर परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से, विनियम बना सकेगी।

29. नियम–धारा 15 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण और विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य बोर्ड, कार्य परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत उन सभी विषयों पर, जो उने अपने–अपने कार्य से सम्बन्धित हैं, नियम बना सकेगा।

30. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राज–पत्र में प्रकाशित किया जाना और राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना–(1) विश्वविद्यालय का समय–समय पर बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश, विनियम किया राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संशोधन द्वारा या अन्यथा, बनाया गया विश्वविद्यालय का प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की कालावधि, जो एक सत्र या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, के लिए रखा जायेगा और यदि उक्त सत्र जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक आगामी सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम में कोई उपान्तरण करने पर सहमत हो जाता है या इस बात पर सहमत हो जाता है कि परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उस परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

31. सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन–राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी भी विद्यमान विधि के अधीन इस

अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, उसके द्वारा मान्यताप्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित कोई भी संस्कृत महाविद्यालय या संस्था, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् इस अधिनियम के अधीन इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, उसके द्वारा मान्यताप्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित समझी जायेगी और उस विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता, मान्यता या, यथास्थिति, अनुमोदन समाप्त समझा जायेगा और इस विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता, मान्यता या, यथस्थिति, अनुमोदन इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन जारी रहेगा।

32. विश्वविद्यालय निधियाँ—(1) विश्वविद्यालय की एक साधारण निधि होगी जिसमें ऐसी आय, फीसें और अन्य प्राप्तियां समुचित शीर्षों के अधीन जमा की जायेंगी जो विहित की जायें।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से अभिदाय, सहायता या अनुदान के रूप में प्राप्त धन या किसी अन्य से प्राप्त कोई भी ऐसा अन्य धन, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठान–निधि में जमा किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठान–निधि में जमा सम्पूर्ण धन या उसका कोई भी भाग ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किये जायें, खर्च किया जा सकेगा या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जा सकेगा, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट है।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिये या किये गये किसी भी अनुदान, सहायता या अभिदाय के उपयोग से सम्बन्धित ऐसे विवरण लेखे, रिपोर्ट या अन्य विशिष्टियां उक्त सरकार को दी जायेंगी, जो समय–समय पर अपेक्षित हों।

(5) विश्वविद्यालय की साधारण निधि, प्रतिष्ठान–निधि और अन्य निधियां ऐसे परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार रखी, प्रबंधित और व्यवहृत की जायेंगी जो समय–समय पर बनाये जायें।

[1][**32क. लेखे और संपरीक्षा**—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्त्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

[1] 2013 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा सम्मिलित

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ कार्यकारी परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और कार्यकारी परिषद् इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगी जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाअें की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियाँ सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

32ख. राज्य सरकार का नियंत्रण—जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ—साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्—

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति— पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त / विशेष वेतन, भत्ते या किसी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण– पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिससे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

32ग. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा– (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधयों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होगे।]

33. भविष्य निधि और पेंशन निधि– (1) विश्वविद्यालय अपने अध्यापकों और कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित करेगा या कोई बीमा योजना बनायेगा।

(2) जहां ऐसी कोई भविष्य निधि या पेंशन निधि इस प्रकार गठित की गयी हो वहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19) के उपबन्ध ऐसी निधि पर लागू होंगे।

34. कुल–सचिव, अन्य कर्मचारियों और प्राधिकरण द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करने पर निर्बंधन–कुल–सचिव, अन्य अधिकारियों और प्राधिकरण को राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, विश्वविद्यालय के लिए उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा और न ही उनके द्वारा स्वीकार किया जायेगाः

परन्तु इस धारा की कोई भी बात कुल–सचिव के मामले में धारा 13 में यथा–उल्लिखित परिलब्धियों एवं सेवा–शर्तों को और अन्य मामलों में इसमें अन्यत्र किये गये उपबंधों या उनके अभाव में परिनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये उपबन्धों को किसी भी रीति से प्रभावित नहीं करेगी।

35. कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करने पर निर्बन्धन–कार्य परिषद् का कोई भी सदस्य उसके द्वारा विश्वविद्यालय के लिए किये गये किसी भी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा चाहे उसने वह कार्य परीक्षक के रूप में या सारणीकार के रूप में या किसी भी अन्य हैसियत से किया हो।

36. अध्ययन बोर्ड की पदावधि पर निर्बन्धन—विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड के किसी भी सदस्य द्वारा लिखी गयी या प्रकाशित की गई कोई पुस्तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के अध्ययन हेतु, जब तक ऐसा व्यक्ति अध्ययन बोर्ड का सदस्य रहता है, विहित या उसकी सिफारिश नहीं की जायेगी।

37. रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य नहीं होना—विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय द्वारा किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही को केवल इस कारण से ही प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि उक्त प्राधिकरण या निकाय में कोई भी रिक्ति थी।

[1][**37(क). जनशक्ति का अंतरण**—तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, राज्य सरकार की सलाह पर, किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के ऐसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसके कि वे कुलाधिपति हैं, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय में अंतरण के लिये, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसे आदेश कर सकेगा जो आवश्यक समझे जायें।]

38. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत हो तो राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

[1] 2004 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा सम्मिलित